कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

सोमवार, 27 माघ, शक संवत् 1947

(16 फरवरी, 2026 ई0)

खण्ड-531

अंक-06

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मा0 मुख्य मंत्री की ओर से आज मा0 सदस्यगण के लिए कैण्टीन में मध्याह्न भोज की व्यवस्था है।

इसके पश्चात् श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिन मा0 सदस्यों का जन्मदिन सत्र के दौरान अवकाश के दिनों में पड़ता है, उन्हें अगले कार्य दिवस में शुभकामनाएं दी जाएंगी तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यगण को उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी :-

श्री सतीश चन्द्र शर्मा,

श्री राम रतन कुशवाहा,

श्री मोहन वर्मा,

श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या,

श्री तसलीम अहमद।

आज दिनांक 16 फरवरी, 2026 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार की गयी :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हितार्थ मानव सम्पदा पोर्टल को दुरुस्त कराकर कर्मचारियों को चयन वेतनमान में आ रही दिक्कतों को अतिशीघ्र दूर कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री मोहन वर्मा	जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड मोतीचक में कतिपय सड़क मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
3	श्री स्वामी ओउ्मवेश	जनपद बिजनौर के चांदपुर में कतिपय मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
4	श्री सुरेन्द्र मैथानी	जनपद कानपुर में अर्मापुर बड़ी नहर छठ पूजा स्थल एवं पनकी मन्दिर स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
5	श्रीमती पूनम संखवार	जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
6	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर के ग्राम सभा जमालपुर में कतिपय सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
7	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के बैरिया में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
8	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली के सकलडीहा में कतिपय सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
9	श्री संग्राम सिंह	जनपद बलिया के फेफना में कतिपय सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
10	श्री अरविन्द कुमार सिंह	जनपद शाहजहांपुर के ददरौल के अन्तर्गत नवीन बिजलीघर बनवाने के सम्बन्ध में।
11	डॉ0 पल्लवी पटेल	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 18 जून, 2024 तथा 30 जुलाई, 2025 का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री बाबूलाल	जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पनवारी में बारात घर के निर्माण के सम्बन्ध में।
13	श्री रामकृष्ण भार्गव	जनपद सीतापुर के मिश्रिख विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी	जनपद अमेठी में पूर्व में कार्यरत मृतक शिक्षक का बकाया वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री पंकज सिंह	नोयडा और ग्रेटर नोयडा में ऊँची इमारतों में अग्निशमन उपकरणों की कमी के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
16	डॉ0 नीरज बोरा	लखनऊ में पक्के पुल से सीतापुर रोड तक बन्धा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में हो रही देरी के सम्बन्ध में।
17	श्री तसलीम अहमद	जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
18	श्री बेदी	जनपद गाजीपुर के जखनिया में सी एण्ड डीएस द्वारा किये गये कतिपय निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी	जनपद रायबरेली के लालगंज में स्थित भीतरगांव ग्राम पंचायत में ओवर हेड टैंक को ठीक कराकर जल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज नियमताबाद के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री विनय कुमार द्विवेदी	जनपद गोण्डा के मेहनौन में कतिपय मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
22	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	जनपद फतेहपुर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

पशुधन मंत्री ने भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-I/1225960-2026, दिनांक 04 फरवरी, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के छब्बीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) की उपधारा (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2025-2026) का कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, पंचायती राज, परिवहन, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, लोक निर्माण, खेल-कूद एवं युवा कल्याण, आवास एवं शहरी नियोजन, आयुष विभागों के वर्ष 1999 से 2024 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 156वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री शशांक वर्मा, सदस्य, संसदीय अनुश्रवण समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की संसदीय अनुश्रवण समिति (2025-26) का प्रथम प्रतिवेदन, जो नगर विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री शशांक वर्मा, सदस्य, संसदीय अनुश्रवण समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की संसदीय अनुश्रवण समिति (2025-26) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो राजस्व विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा पहाड़पुर में प्राथमिक पाठशाला से पंचायत भवन तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू खान व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कड़ा में ग्राम सभा ताजमल्लाहन मजरा रसूलपुर में सूरजभान के घर से बिन्देश्वरी पुत्र गंगा प्रसाद के घर तक पक्की सड़क का निर्माण (दूरी लगभग 01 किमी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत नोएडा के श्रमिक कुंजों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा के अन्तर्गत ग्राम बिन्दौर में पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत बलरामपुर-बहराइच किमी0-3 से सेंट्रल स्कूल, आश्रम पद्धति विद्यालय होते हुए बधनगर बाजार तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष ओझा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रभानु पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम कोराबली सम्पर्क मार्ग से जिगनाही गाँव (ल0 850 मी0) तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा की क्षेत्र सिधौली में भगवतीपुर चौराहे से शिवरामत्तेपुर धन्ना होते हुए बाराबंकी तक की सड़क का

चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम मचकौली में शिव मन्दिर से ठा0 धर्मराज सिंह के घर तक लगभग 200 मी0 रास्ते का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गुड़िया देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के अन्तर्गत वृद्धावस्थाश्रम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के ग्राम भांकला देहरी पुल से वाया घसौती होते हुए शहरी पुल रामपुर मनिहारान मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्रयवीर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामखिलाड़ी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर के अन्तर्गत मुरादाबाद आगरा हाई-वे से दिनौरा, पुसावली, झुकेरा होते हुए मेरठ बदायूँ मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कार्य एवं सौदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेत्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर में भुड़कुडा मठ को पर्यटन विभाग से विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलवन्त सागर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज के ग्राम पंचायत नन्दौर (बलगरपुरवा) में स्थित शिवाला मन्दिर के जीवनोद्धार/जीर्णोद्धार कराए जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत माहेमऊ मजरे खौपुर में रानीगंज वारिशगंज सम्पर्क मार्ग से बाबा की कुटी तक लगभग 200 मी0 सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत जखौरा से आगर चितरा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत आरेखी अमखेड़ा सरावन मढोरा हदरूख मार्ग के किमी0 15 में स्थित सरावन आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य एवं किमी0 16,17,18 में चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत पौकी नहर पुलिया से कसरक नहर पुलिया तक छूटी कड़ी कच्चे मार्ग नहर पटरी पर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा की क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम ललऊआ से ललऊआ ठार सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य (ल0 02 किमी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत मख्खनपुर जेबड़ा रोड से प्राथमिक विद्यालय ऊधनी तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सनी यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

इस मध्य सदन में उपस्थित होने के बावजूद कतिपय सदस्यों द्वारा टैबलेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज न किये जाने के दृष्टिगत श्री अध्यक्ष द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए मा0 सदस्यगण को निर्देशित किया गया। साथ ही अपना वक्तव्य/भाषण अपनी आवंटित सीट से ही देने के लिए कहा, ताकि बोलते समय वक्ता का नाम डिस्प्ले करने में कंट्रोल रूम को आसानी रहे।

इस पर इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि टैबलेट पर 10:30 बजे के उपरान्त उपस्थिति ली जाती है, उनके द्वारा 10:00 बजे से उपस्थिति दर्ज होने विषयक प्राविधान किये जाने हेतु पीठ से अनुरोध किया गया, जिसे श्री अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के गंगागंज से पहाड़पुर के मध्य पंचायत घर पहाड़पुर से चौपुरा तक मार्ग (ल0 1.5 किमी0) मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ में लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजा बाजार वार्ड एवं बशीरतगंज वार्ड के

दुर्विजयगंज में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुम्तियाज सिद्दीकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के जामडीह से धनउर सम्पर्क मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशीकान्त भारती व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम चौढेरा-चौढेरी में रामसरन के मकान से बधुई मार्ग तक सम्पर्क मार्ग तक कच्चे मार्ग (700 मी0) का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड देवकली के अन्तर्गत ग्राम सभा सम्मनपुर नहर से प्राइमरी स्कूल तक आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शहबाज अहमद व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के ब्लाक सिद्धौर में जैदपुर-कोठी मार्ग से मिर्जापुर होते हुए इसरौली सारी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड सण्डवा चंद्रिका के अन्तर्गत बनियानार से सरुआ शवदाह गृह को जाने के लिये सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के अन्तर्गत खोडारे कूकनगर ग्रन्ट ओ0डी0आर0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कप्तान श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत रानी की सराय मेन रोड से सोनवारा होते हुए कोईलारी खुर्द तक 7.00 किमी0 क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का हॉट मिक्स प्लांट से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-121, नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम डबरी से ग्राम कमलापुर महराब खां तक

सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकी देवी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम करझन में श्री रामशंकर तिवारी के बाग में सरकारी ट्यूबवेल/सब-मर्सिबल लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री करन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के तारनपुर जौहर रजवाहा पुल से रामपुर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम शंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम औरंगाबाद में मेन रोड से शहीद की मूर्ति तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में कैप्टन महीपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अरविन्द कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कॉट के ग्राम पडैचा से जाजलपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत बलरामपुर रोड एन0 एच0-730 सिटकहना जोत केशवा बनियाहारी से बड़ा गांव होते हुए खुटेहना मार्ग तक एम0डी0आर0-76ई पर स्थित मार्ग लगभग 10 किमी0 का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधोपुर द्वितीय के आदर्श नगर में आनन्दी लॉन से लेकर संगीता पब्लिक स्कूल के आगे तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के तहसील पटियाली के अन्तर्गत ग्राम बकावली में एटा सिढ़पुरा मार्ग से मगथरा मार्ग तक बाईपास 350 मी0 सी0सी0 अथवा इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपेन्द्र प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत ग्राम भरपुरा सकैनिया गांव से ग्राम सुल्तानपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिकेत व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के विकास खण्ड जमनिया के अन्तर्गत ग्राम सभा बैकुंठपुर (घाटमपुर) में विद्युतीकरण एवं 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत कायमगंज बस अड्डे के बगल स्थित जमीन 1359 फ0 जो कि तालाब में दर्ज है पर हो रही अवैध प्लाटिंग को बंद कराकर तालाब को संरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा कहरा सुलेमपुर (मुरलीनगर) माइनर से डॉ0 भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सालिक राम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मोहम्मदपुर में गोसड़ी राजभर बस्ती से नन्दाव व लालपुर पोखरा तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम ताना से ग्राम पीरखेड़ा तक लगभग 3.00 किमी0 मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत बम्बूगढ़ से सम्भल चौराहे तक मार्ग (06.00 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बॉबी भगत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर, विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत वार्ड 55 गुजैनी स्थित एच ब्लाक से रेलवे लाइन तक खुला नाला ढकाए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती गुन्जन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में काका गर्ल्स डिग्री कॉलेज से आगे नाले से माधोगढ़ी तक (लगभग 01 किमी0) सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा के बक्शा तेजी बाजार पक्की सड़क से के0डी0आर0एल0 स्कूल होते हुए रेलवे अण्डरपास तक सड़क मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगल यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड बस्ती सदर के डारीडीहा में रामशंकर यादव के खेत से डारीडीहा चौराहा तक ढक्कन सहित नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम सिर्स के पास नहर रजबहा में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधांशु सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी, विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत ब्लाक बामौर में देवरी से प्रतापपुरा ठर्रो प्रतापपुरा से धनौरा-धनौरा से ककरवई-ककरवई थाना के पास से गरौठा तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम राजा तोमर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के नगर पंचायत पयागपुर के भूपगंज बाजार में वारीपुरवा चौराहा से बाजार से मुख्य बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रखर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड जहानागंज यारीपुर चट्टी होते हुए ग्राम अहिरौली तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्टु यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया, विधान सभा क्षेत्र बाँसडीह के अन्तर्गत ग्राम सभा भेड़िया नाला सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणजीत बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर खुर्द की नगर पंचायत हर्रा के सरधना बिनौली रोड से पांचली बाईपास मार्ग लगभग 02 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद एटा में नवसृजित पुलिस चौकी उभई असद नगर की बिल्डिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट, विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के ग्राम पंचायत शिवरामपुर, विकास खण्ड कर्वी में प्रयागराज झांसी मार्ग के शिवरामपुर पुलिस चौकी के पास से मछरिहा मोड़ बरूआ नाला तक दोनों तरफ नाला का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती, विधान सभा क्षेत्र भिनगा, श्रावस्ती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जमुनहा, भवनियापुर, बरगदहा, फतेहपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू हिन्दुस्तानी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के नगर पंचायत किशनपुर से ग्राम पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत वारी वराजगढ़ माइनर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदारनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम सभा गडवार से सुखपुरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत नगर पालिका फतेहपुर के पटेल नगर से वर्मा तिराहे तक सम्पर्क मार्ग पर डिवाइडर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र–255, सोरांव के ग्राम ददौली के अन्तर्गत प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर पेट्रोल पम्प के सामने से सन्तोष यादव के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के नूरपुर नगर के नूरपुर स्योहारा मार्ग में आर0आर0 पब्लिक स्कूल के पास से नहर की पटरी पर नूरपुर बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वाजिद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर, विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के बिलहड़ी तिहारा से शमशान घाट होते हुए बांक के सुखनन्दन आचार्य जी के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर, विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड–बदलापुर में स्थित बहरा पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर–352 के अन्तर्गत ग्राम सभा कुरबानपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत ग्राम पंचायत निबाड़ी खादर में ग्राम डेढ़मील से शमशान घाट तक सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के गम्भीर पट्टी बिसाना में एन0एच0–509 से नगला विहारी मार्ग को जलभराव से मुक्त कराने हेतु उक्त मार्ग का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चुन्नीलाल कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत ग्राम सभा गूढ़ा में चांदपुर स्थित तथागत बुद्ध विहार से हिम्मगढ़ी जाने वाली कच्ची सड़क पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफेर व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद देवरिया के अन्तर्गत तहसील रुद्रपुर में गुर्रा राप्ती नदी एवं गुर्रा बथुआ नदी के बंधों के बीच हो रहे जल-भराव के निकासी हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संगमधर व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के विकास खण्ड-बलहा के ग्राम मनोहर पुरवा में खड़न्जा अथवा डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवरतन व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के सिकन्दरा के वार्ड-88 व 71 में सीवर लाइन एवं वाटर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री साहुकार व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महोबा, विधान सभा क्षेत्र चरखारी में विकास खण्ड-जैतपुर के ग्राम महुआ बाध से मध्य प्रदेश सीमा झींगन तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन, विधान सभा की क्षेत्र कालपी विकास खण्ड-कदौरा के ग्राम अकोढ़ी से इमलिया बुजुर्ग के किमी0 1 में 2.5 मी0 चौड़ा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पियूष पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड-किशनी में मनिगांव मार्ग से बल्लमपुर एवं भिटारा मार्ग से सतिपाहार तक के मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनय कुमार द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-मुजेहना के ग्राम पंचायत बनकटी सूर्यबली सिंह के क्षेत्रफल को देखते हुए अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज बरवार व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम बड़िया से बाबा सती धार्मिक स्थल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरमेल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक ईसानगर के ग्राम हरदासपुर से मुरब्बापुरवा होते हुये भट्टीपुरवा तक डामरीकरण (01 किमी0) का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवराज राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई नगर पालिका परिषद् में विकास तिवारी के मकान से अश्वनी दुबे के मकान तक दोनों ओर नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के विकास खण्ड-बिसवां के अन्तर्गत सरैया मिर्जापुर में पूर्व बने मिनी स्टेडियम की मरम्मत कराकर पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत नगर में स्थित प्राचीन ट्रैक्सी टेम्पल (शिव जी मंदिर) का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड-रामनगर के ग्राम गोवर्धनपुर में रंगीलाल यादव के खेत से तारकेश्वर यादव के घर तक का सी0सी0 मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप आजाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र छावनी के अन्तर्गत देवरी रोड से उखर्रा जाने वाले मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय के बगल में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर इण्टरमीडिएट कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक धर्मेश व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लॉक खेरागढ़ की ग्राम पंचायत दिगरौता के मजरा नगला डहर में तालाब की सफाई एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजमोहन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़-02 के विकास खण्ड-सरसावा के ग्राम हैदरपुर में निर्माणाधीन पानी की टंकी को सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजत कुमार पुत्र आजाद व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड-बनकटी में अमरडोभा रेहार से ऐनपुर होते हुए गुमानारी तक के मार्ग को त्वरित विकास निधि योजना अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, चरियांव बुजुर्ग में छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक्-पृथक् छात्रावास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत ग्राम पैनिया हिम्मत में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लॉक सल्टौवा गोपालपुर के ग्राम हरिहरपुर से सिसवा बरूआर जाते हुये बेरिहवा सम्पर्क मार्ग (दूरी 2.5 किमी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ब्लॉक टाण्डा के बरियावन टाण्डा सम्पर्क पर रामपुर कला से ग्राम पुंथर में शकील के घर तक सड़क (दूरी 500 मी0) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्सार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती की तहसील हरैया के अन्तर्गत ग्राम पुरैना से नागपुर चैनपुर, भानपुर इटवा, कुनगाई होते हुए परसा परसरामपुर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के तहसील मांट के अन्तर्गत ग्राम नीमगांव से ग्राम तारापुर (अलीगढ़ सीमा) तक लम्बाई लगभग 600 मी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के विकास खण्ड-सोहावल के अन्तर्गत ग्राम कलाफरपुर की कलाफरपुर घाट मार्ग पर ट्यूबवेल से थरेरु मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के कस्बा घाटमपुर में पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0/नगर पालिका घाटमपुर की खाली पड़ी जमीन पर निरीक्षण भवन/अतिथि गृह/सामुदायिक भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, वि0ख0-धनूपुर, ग्रामसभा-भोपतुर बाजार पक्की सड़क से माजिद हुसैन के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री तेज प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा की क्षेत्र करहस के विकास खण्ड-घिरोर में पटावर मार्ग से ओय की ठार होकर थड़सोबा मन्दिर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विदेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गिलौला को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा के ग्राम व पोस्ट सोनाडीह में ग्रामवासियों के छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज के तार को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिप्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के तहसील कलान, विधान सभा की जलालाबाद के ग्राम अमदापुर में रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसरन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-सण्डवा चन्द्रिका अन्तर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशुनगंज का बाउण्ड्रीवाल का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के विकास खण्ड-होलागढ़ में सोरांव से कल्याणपुर मार्ग दुर्गागंज उचडीह से भयहरण नाथ घाम तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समाज शेखर व अन्य निवासीगण जपनद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक चरथावल के ज्ञानामाजरा रोडान से पिलखनी होते हुए गुनिया जुड्डी सम्पर्क मार्ग का निर्माण

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड-बढ़पुर में स्थित ग्राम सभा बरौन के मजरा शमशेर नगर के बाबरपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड-नियामताबाद के ग्राम अमोघपुर में मेन रोड से अमोधपुर पंचायत भवन तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत साथी ठकुरापुर-विशुनपुर कला के अवशेष भाग का लेपन स्तर तक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती मिथलेश पाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-मोरना के ग्राम सिकन्दरपुर से सीकरी जाने वाले मार्ग पर जलभराव की समस्या का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बरफ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-जलीलपुर के अन्तर्गत ग्राम शादीपुर से साहनीपुरा मार्ग को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकरण व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शशांक वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र 138-निघासन लखीमपुर के निघासन में बस अड्डा डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड-मलवां के अन्तर्गत ग्राम अमौरा से गाजीखेड़ा इण्टर कालेज तक जाने वाला लगभग 01 किमी0 मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अब्बास अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रतनपुरा के ग्राम सभा बड़ागांव के आस-पास 11/33 के0वी0ए0

विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र के भगवन्तनगर परसिया से होते हुए सेमरहनी मार्ग पर रेलवे फाटक से उत्तर भगवन्तनगर परसिया के जनकनगर (डंगरेपुर) को जोड़ने के लिए जर्जर स्थिति में पड़े खड़न्जा के स्थान पर पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र यादव उर्फ पप्पू यादव व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री को इंगित करते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रस्तुत की जाने वाले याचिकाओं के सम्बन्ध में इस आशय का आदेश निर्गत किया जाए कि याचिकाओं पर 06 महीने के भीतर कार्यवाही अवश्य हो जाय और उसकी सूचना सम्बन्धित सदस्य को मिल जाय तथा उक्त अवधि के पश्चात् ओवरऑल याचिकाओं की मॉनीटरिंग याचिका समिति करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने मा0 सदस्यों से अनुरोध किया कि जो भी विधेयक सदन में प्रस्तुत हो, वे उनका अध्ययन अवश्य करें और सदन में उस पर होने वाली चर्चा में प्रतिभाग करें।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 04 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य हुईं।

श्री अध्यक्ष ने श्री कमाल अख्तर को उनकी नियम-56 की सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए कहा कि सूचना सारगर्भित व स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो विषय सामान्य चर्चा में आ सकते हैं, उन्हें नियम-56 में लाना उचित नहीं है। चूँकि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उक्त सूचना को सुने जाने की सहमति दी गयी है, इसलिए सूचना के सम्बन्ध में मुख्य बिन्दुओं पर ही अपनी बात रखें।

प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब तथा अनियमितता से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त

करते हुए श्री कमाल अख्तर ने कहा कि देश के अन्दर हर वर्ष करीब 04 लाख लोगों की मौतें स्वच्छ पेयजल न मिलने की वजह से होती है। लोगों को खासतौर से ग्रामीण परिवेश के लोगों को शुद्ध जल मिल सके, इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गयी, लेकिन पानी केवल उन्हीं घरों में आता है, जो पास में हैं। बाकी के घरों में प्रेशर के अभाव में पानी नहीं पहुंच रहा है। सड़कें तोड़ कर बर्बाद कर दी गयी हैं, जिन्हें बनवाने के लिए कई बार सदन में भी सदस्यों ने मांग की है, लेकिन आज तक उनकी मरम्मत नहीं करायी गयी। कार्यदायी कम्पनियों की बहुत सारी अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं। ध्वस्त हुई पाइप लाइन को सही नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार की रिपोर्ट में 2025 के अनुसार देश भर में जल जीवन मिशन के अन्दर जुड़ी अनियमितताओं की कुल 17 हजार शिकायतों में से लगभग 84 प्रतिशत शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। अटल मिशन के बावजूद स्वच्छ जल का सपना अधूरा है। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर श्री प्रभु नारायण सिंह यादव ने बल दिया।

शासन का पक्ष रखते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 97070 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10312 उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की पाइप पेयजल योजनाओं से पूर्व से आच्छादित हैं। शेष 85543 गांव में से 36308 गांवों में योजनाओं के माध्यम से जल जीवन मिशन से आच्छादित कर पाइप पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। सभी योजनाओं में जल की गुणवत्ता के सतत् निरीक्षण हेतु सेन्सर लगाये जा रहे हैं। पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक तथा प्रदेश में मुख्यालय स्तर पर एक एन0ए0बी0एल0 एक्रीडेटेड प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। किसी स्तर पर परिलक्षित लापरवाही के लिए दोषी व्यक्तियों एवं कम्पनियों/एजेन्सियों पर कार्रवाई भी हुई है। जल जीवन मिशन सरकार का सपना है। इसमें सभी का सहयोग चाहिए। यह गरीबों की योजना है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है और कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी तथा पेपर लीक की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए डॉ0 संग्राम यादव ने कहा कि देश का सबसे युवा प्रदेश बेरोजगारी का केन्द्र बन कर उभरा हुआ है। बेरोजगारी के कारण युवाओं में कुंठा, निराशा और हताशा व्याप्त है, यह सर्वविदित है। विज्ञापन के बाद भी कई परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पायी है। नये-नये नियम लागू करके छात्रों को परेशान करने का काम किया जाता है, जिसे लेकर छात्र आन्दोलित हैं। आज प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन स्थाई नौकरियां देने की सरकार की नीयत ही नहीं है। आउट सोर्सिंग लाकर के युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ धकेलने का प्रयास किया

जा रहा है। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

श्रीमती पूजा ने इस पर बल दिया।

इस पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी समस्या है और सरकार ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हर हाथ को काम मिले, इस संकल्प के साथ सरकार ने अभियान की शुरुआत की। युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है और इसे उसी तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प है। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गयी है। 13148 रोजगार मेले आयोजित करके निजी क्षेत्र में 15 लाख से अधिक लोगों को सेवायोजित किया गया। बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। मातृ शक्ति के सेवायोजन के लिए पिंक रोजगार मेले का आयोजन का भी विचार किया जा रहा है।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि –

''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार किया जाय।''

श्री मौहम्मद फहीम इरफान ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा कल दिनांक 17 फरवरी, 2026 को उनके पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में समय से प्रतिभाग करने हेतु सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया है। आप लोगों को आमंत्रण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं, समय से समारोह में पहुंचें।

श्री एच0एन0 पटेल एवं श्री अनिल प्रधान ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के संशोधन पर बल दिया।

तदुपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के सम्बन्ध में संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 के सम्बन्ध में संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने हेतु 05 से 07 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा श्री मोहन वर्मा के भाषण से आरम्भ हुई।

इनके भाषण के मध्य 02 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मा0 मंत्रीगण/सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री रमा शंकर सिंह,

श्री अतुल प्रधान,

डॉ0 सुरभी,

डॉ0 एम0पी0 आर्य,

श्री महबूब अली,

श्री हरिप्रकाश वर्मा,

श्री विवेकानन्द पाण्डेय,

श्री नफीस अहमद,

श्रीमती अलका सिंह,

श्री प्रदीप कुमार सिंह 'गुड्डू चौधरी',

श्रीमती पिंकी सिंह,

श्रीमती सरोज कुरील,

श्री बाबूलाल,

श्री अंकित भारती,

श्री कैलाश राजपूत,

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') के भाषण के मध्य सायं 04 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री राम मूर्ति वर्मा,

श्री विपिन सिंह,

श्री प्रसन्न कुमार,

श्री समरपाल सिंह,

श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा,

श्री असीम कुमार,

श्री अनिल प्रधान,

श्री राम बिलाश चौहान,

श्रीमती मनीषा,

इंजी0 बृजेश कठेरिया,

श्री मनीष रावत,

श्री अशोक कुमार के भाषण के मध्य सायं 05 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जयप्रताप सिंह पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0 मंत्रीगण/सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री अखिलेश,

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय,

श्री प्रभात कुमार वर्मा,

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा,

श्री राजीव गुम्बर,

श्री सौरभ श्रीवास्तव,

श्री अरमान खान,

श्री मुकेश चौधरी,

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल),

श्री जाहीद,

श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी,

श्री विनय कुमार द्विवेदी,

श्री राम अवतार सिंह,

श्री विनोद शंकर अवस्थी के भाषण के मध्य रात्रि 07 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यगण ने चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्रीमती केतकी सिंह,

श्रीमती सैय्यदा खातून के भाषण के उपरान्त चर्चा आगे लिए जारी हुई।

आज दिनांक 16 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 78 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	डॉ0 रागिनी	विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के प्राथमिक विद्यालय सहरमा विकास खण्ड बरसठी में नियमित शिक्षकों के अभाव के विषय में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर मुख्यालय में बेतवा एवं यमुना नदियों में दीर्घ सेतु एवं बाईपास कार्य समय से न पूर्ण होने एवं शासकीय धन की क्षति होने के लिये सम्बन्धित ठेकेदारों/कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुये कठोरतम कार्यवाही कर शीघ्र कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती रेखा वर्मा	जनपद औरैया के सहार विकास खण्ड में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)	जनपद प्रयागराज के सोरांव अन्तर्गत विकास खण्ड बहरिया के ग्राम पंचायत टिकरी में सारंगापुर टिटिमपुर तथा ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ दौलतपुर के मौजा देवरा में काली रोड से पं0 जवाहर लाल नेहरू इण्टर कॉलेज तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
4	श्रीमती इन्द्राणी देवी	विधान सभा क्षेत्र भिनगा, जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत विकास खण्ड सिरसिया के ग्राम पंचायत मदरहवा से पिपरहवा तक पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री बेदी	सरकारी भूमि, नाला, तालाब, बंजर भूमि, नवीन परती पर अतिक्रमण कर खरीद-फरोख्त करके तथा भू-लेख के विपरीत अवैध नाला निर्माण/सरकारी जमीन, बंजर तालाब पर अवैध कब्जे को भू-माफियाओं से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।
6	श्री जगदीश नारायण	विधान सभा क्षेत्र जफराबाद, जौनपुर हेतु निर्धारित आवंटित पूर्वांचल विकास निधि जिलांश की स्वीकृति न होने के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती पूजा	जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम बीबीपुर से उचहुवां तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक।
8	श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा'	विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर, कानपुर नगर के ग्राम रामपुर नरुआ की पुलिस चौकी एवं थाना की समस्या के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को जनपद महोबा के चरखारी मुसक्रा के ग्राम बसौठ के पास कट/रास्ता दिये जाने विषयक।
2	श्रीमती सरोज कुरील	घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जुरइयां से मदनपुर होते हुए शिव हरि धाम तक नये काले डामर रोड का निर्माण (2 किमी0) कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती केतकी सिंह	निरीक्षक सहतवार, उप निरीक्षक व महिला उप निरीक्षक सहति 130 (पुरुष व महिला) आरक्षी सिपाही के एक दिन के वेतन के सम्बन्ध में।
4	श्री अरविन्द कुमार सिंह	ग्राम सेहरामऊ, विकास खण्ड भावल खेड़ा, जनपद शाहजहाँपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
5	डॉ0 पल्लवी पटेल	उत्तर प्रदेश टी0जी0टी0 परीक्षा में प्राविधिक कला को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री ओम प्रकाश सिंह	हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर में शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन के सम्बन्ध में।
7	श्री मुकेश चौधरी	विधान सभा क्षेत्र नकुड़ अन्तर्गत सिख समुदाय के डेरे/बस्ती में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	डॉ0 राजेश्वर सिंह	उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

उ0प्र0 के समस्त जिला चिकित्सालयों में एण्टी रेबीज सीरम इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

कामाक्षा परिसर, जनपद वाराणसी में अवैध तरीके से किये जा रहे होटल के निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर हरेवली, नगीना, अकबराबाद, किरतपुर (MDR-171W) मार्ग के शेष पार्ट ग्राम गढ़ीवान से अकबराबाद-नगीना होते हुए ग्राम बुढावाला तक लम्बाई लगभग 15.00 किमी0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पारस द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के मुख्य मार्ग से ग्राम सभा मडैंया-भुभुवार तक 1.5 किमी0 सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर से निकलने वाला इसौर नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य जल शक्ति राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

कॉठ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चोहरा रसूलपुर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से बने मॉडल कन्या इण्टर कॉलेज को प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल अख्तर द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अज्जू नंगली से चाँदपुर चीनी मिल मार्ग तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी ओउ्मवेश द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लॉक अछनेरा के खण्ड विकास अधिकारी व अन्य अधिकारियों के अवैध कार्यों की टी0ए0सी0 जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी बाबू लाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास विभाग) का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हरबसपुर साखेहारी मेन रोड से ग्राम डिबरी तक काले डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सरोज कुरील द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

———————

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 235 एल0ए0 विधान सभा (392)-17-02-2026-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।